202

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0मुख्यालय ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रं. /14 निगरानी

R-750-III/14

श्री विजय कुशवाह अभि० द्वारा आज दि. 3-3-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

भैयालाल पुत्र स्व. श्री बाबूलाल अहिरवार आयु– लगभग 50 वर्ष, निवासी–ग्राम सांदनी, तहसील व जिला छतरपुर (म0प्र0)

.... अपीलार्थी

बनाम

1. शिवराज सिंह
2. सरदार सिंह पुत्र श्री जुझार सिंह ठाकुर निवासी– ग्राम सांदनी, तहसील व जिला छतरपुर(म.प्र.)
3. चुनुवा पुत्र छित्ता अहिरवार
4. महिला जानकीबाई पुत्री छित्ता
5. पूरनलाल पुत्र कन्हैया
6. संतु पुत्र दीना अहिरवार
7. सुन्दरलाल पुत्र दीना अहिरवार समस्त निवासीगण ग्राम सांदनी, तहसील व जिला छतरपुर (म0प्र0)
8. म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर महोदय छतरपुर।

........अनावेदकगण

द्वितीय निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 08.01.2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर प्रकरण कं. 263अ–19–2005–06 निगरानी शिवराज सिंह व अन्य बनाम भैयालाल जिसके द्वारा निगरानीकर्ता का बंटन आदेश निरस्त करते कब्जा हटाने का आदेश पारित किया गया, को अपास्त कराने बावत्।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 750–तीन / 14 जिला –छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17.8.16	यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण कमांक 26/अ–19/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8.1.2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि नायब तहसीलदार बसारी तहसील राजनगर ने प्रकरण कमांक 57/अ–19/1997–98 में पारित आदेश दिनांक 28.8.98 से ग्राम सॉदनी के 64 व्यक्तियों को भूमि बन्टन किया। इसी प्रकार तहसीलदार राजनगर ने प्रकरण कमांक 30/अ–19/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 11.7.2002 से ग्राम सॉदनी के 15 व्यक्तियों को भूमि का बन्टन किया गया। उपरोक्त दोनों प्रकरणों में पारित आदेशों के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष अपील कमांक 19/2004–05 अपील कमांक 29/2004–05 तथा अपील कमांक 30/2004–05 प्रस्तुत की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी रायजनगर ने संयुक्त आदेश दिनांक 21.	

9.05 से बेरूम्याद मानकर निरस्त कर दी । इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष निगरानी कमांक 26/अ-19/2005-06 प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर ने आदेश दिनांक 8.1.14 से निगरानी अंशतः स्वीकार की तथा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर का आदेश दिनांक 21.9.05 निरस्त करते हुये भैयालाल, चिनुआ, जानकीबाई, पूरन, कन्हैयालाल के हित में दिये गये पट्टे निरस्त कर दिये तथा नायब तहसीलदार बसारी का आदेश दिनांक 11.7.2002 एवं प्रकरण कमांक 57/अ-19/97-98 में पारित आदेश दिनांक 28.8.98 भी निरस्त किये गये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3- निगरानी मेमों में अंकित आधारों पर आवेदक की ओर से श्री आर0 एस0 सेंगर अधिवक्ता, अनावेदक कमांक 1 से 7 की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अधिवक्ता के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4- उभयपक्ष के अधिवक्तागणों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 26/अ-19/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8.1.14 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आयुक्त द्वारा आदेश के पद-2 में विवेचना की है कि:-

तहसीलदार राजनगर के यहां ग्राम सांदनी के अभिलेख में पेज 13 पर वर्ष 1958-59 खतौनी जमाबन्दी में मोनेजू, दरयावसिंह, रंजोर सींग, कन्हैयाजू का नाम मालकाना कास्तकार के रूप में दर्ज हैं जो अभिलेख में किस्त बंदी वर्ष 1975-76 तक आनावेदक के पिता जुझार सींग का नाम दर्ज है। उक्त किस्त बंदी खतौनी की नकल पेज 15 पर संलग्न हैं नायब तहसीलदार बसारी ने उक्त भूमियों का बन्टन प्र0क0 30/अ-19/2001-02 में आदेश दिनांक 11.7.2002 में अनावेदक कमांक-3 जानकीबाई एवं पूरनलाल को खसरा नबंर 6/2 में भूमि आबंटन की गई। इसी प्रकार नायब तहसीलदार ने खसरा नबंर 6/1 में अनावेदक कमांक-1 भैयालाल को भूमि बंटन में दी गई। अनावेदक कमांक-1, 3, 4 के पास पूर्व से एवं अनावेदक क्रमांक-5, 6 परिवार में भूमि होने के उपरांत भी नायब तहसीलदार द्वारा भूमि का बंटन किया गयां बंटन के समय न तो इस्तहार का प्रकाशन किया गया, दिनांक 6.2.85 को प्रकरण कमांक 472/अ-6अ/75-76 में शासकीय भूमि घोषित की गई जो अभिलेख में 1953 से किस्त खतौनी की नकलें लगी हैं उनकी सत्य प्रतिलिपि कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रमाणित है जो अभिलेख में अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख में संलग्न है यह सभी नकलें 1956-57 खसरा पांचसाला 56-57 खसरा पांचसाला संबत् 2020, 2021, 2022, 2023, 2026 से 2030 एवं वर्ष 1974 से लेकर 1992-93 तक अनावेदकगण के पूर्वजों के नाम अभिलेख में दर्ज है। वर्ष 1999-2000 से 2002-2003 के कैफियत के कॉलम में उक्त भूमि म0प्र0 शासन प्रकरण कमांक 472/अ-6अ/1975-76 में पारित आदेश दिनांक 6.2.1985 द्वारा भूमि म0प्र0 शासन की गई है एवं बंटन में आवेदक को बंटित कर दी गई। बंटन अधिकारी

ने राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका 4 (3) में बंटन से संबंधित जो नियम वर्णित किये गये हैं उन नियमों का पालन नहीं किया । स्थल निरीक्षण नहीं किया गया ।

अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों एवं आदेशों के परीक्षण उपरांत उपरोक्तानुसार की गई विवेचना से स्पष्ट हे कि अनुविभागीय अधिकारी राजनगर ने न्यायदान के उद्धेश्यों के विरीत जागर प्रस्तुत अपील्स बेरूम्याद मानकर निरस्त करने में भूल की है तथा नायब तहसीलदार बसारी तहसील राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 57/अ–19/97–98 में पारित आदेश दिनांक 28.8.98 से ग्राम सॉदनी के 64 व्यक्तियों को किया गया भूमि बंटन एवं तहसीलदार राजनगर द्वारा ग्राम सॉदनी के 15 व्यक्तियों को प्रकरण क्रमांक 30/अ–19/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 11.7.2002 से किया गया भूमि बन्टन नियम एवं प्रक्रिया के विरूद्व पाया गया है जिसके कारण विद्वान अपर आयुक्त सागर संभाग सागर ने अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों का परीक्षण कर ऐसे बन्टन को निरस्त करने में तथा अधीनसी न्यायालयों के त्रुटिपूर्ण आदेशों को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है, परन्तु विद्वान अपर आयुक्त सागर संभाग सागर ने इस महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी कर दी कि ग्राम सांदनी के अभिलेख में पेज 13 पर वर्ष 1958–1959 खतौनी जमाबन्दी में मोनेजू, दरयाव सिंह, रंजोर सींग, कन्हैयाजू का नाम

मालकाना कास्तकार के रूप में दर्ज हैं जो अभिलेख में किस्त बंदी वर्ष 1975-76 तक आनावेदक के पिता जुझार सींग का नाम दर्ज है।

5- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमंक 26/अ-19/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8.1.2014 भूमि बन्टन निरस्त करने तक उचित होने से यथावत रखते भूमि म0प्र0 शासन की दर्ज करने एवं कब्जा हटाने के निर्देश देने वाले भाग को संशोधित किया जाता है तथा भूमि पूर्ववत खसरा सन् 1958-59 लगायत किस्तबंदी 1975-76 अनुसार अंकित भूमिस्वामियों के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं यदि उक्त वर्षो के अभिलिखित भूमिस्वामी जीवित नहीं है तब उनके विधिक वारिसानों के नाम भूमिस्वामी की हैसियत से दर्ज की जाय। परिणामस्वरूप निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य